

**न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)**

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 69 / 2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
मदनसिंह पुत्र सोनसिंह जाति राजपूत निवासी तांतवास ग्राम पंचायत तांतवास पं. स. नागौर हाल खींवसर तहसील खींवसर		1 कैलाशदास पुत्र भेरदास जाति साद निवासी तांतवास ग्राम पंचायत तांतवास तहसील खींवसर जिला नागौर। 2 ग्राम पंचायत तांतवास जरिये ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत तांतवास पंचायत समिति नागौर हाल खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति—

- 1 श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से
- 2 श्री अशोक वैष्णव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994  
निर्णय**

दिनांक 30.09.2024

1—प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तांतवास द्वारा पट्टा संख्या 21, दिनांक 01.12.2004 बुक नम्बर 16, से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.12.2017 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 11.01.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री अशोक वैष्णव अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा संख्या 22 की फोटोप्रति, अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड उपलब्ध होना नहीं बताया।

2— उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि —

2(1)— पट्टा जेर निगरानी विधि व तथ्यों के विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

2(2)— पट्टा जेर निगरानी पंचायत एक्ट व पंचायत राज नियम 1996 के कायदो की अवहेलना करते हुए जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

2(3)— आबादी भूमि जिसमें मकान बना हुआ नहीं है, का अंतरण नीलामी के जरिये किया जाने का राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 का नियम 143 के अनुसार किया जाता है तथा जो व्यक्ति खरीदने का विचार रखता है, उसको आवेदन पत्र मय नक्शा 25 रूपये निरीक्षण के पंचायत में पेश करना होता है। नक्शा पेश नहीं किया जाता है तो नक्शा तैयार करने हेतु 25 रूपया जमा कराना होता है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उक्त भूमि का पंचो की कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाकर सम्पूर्ण विवरण सहित ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया जाना वांछित होता है, उसके बाद पंचायत अपनी बैठक में यह तय करती है कि उक्त जमीन विक्रय की जावे या नहीं। यदि पंचायत की बैठक में यह तय होता है कि उक्त जमीन विक्रय किया जावे तो आम जनता से एक माह में आपत्तियां आहुत करने के लिए नोटिस जारी किया जाकर आपत्तियों का निस्तारण कर नीलामी का तारीख तय कर नीलामी का समय तारीख स्थान कर डूडी पीटवाकर नीलामी की नोटिस की सूचना देकर नीलाम की जावेगी। ऐसी कोई कार्यवाही पट्टा जेर निगरानी जारी करने से पूर्व नहीं की गई है, ऐसी दशा में पट्टा जेर निगरानी विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

2(4)— कमजोर वर्गों के लिए आबादी भूमि आवंटन का भी राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 में प्रावधान है, जिसमें अधिकतम 150 वर्गगज तक ही भूमि आवंटित की जा सकेगी एवं 1000 से कम आबादी वाले गांव में 2 रूपया प्रतिमीटर 1000 से 2000 तक आबादी वाले गांव में 5 रूपया प्रति मीटर, 2000 से अधिक आबादी वाले गांव में 10 रूपया प्रति वर्गमीटर की दर से भूमि देने का प्रावधान है, परन्तु पट्टा जेर निगरानी जारी करने के क्रम में ऐसी कोई राशि क्रेता/आवंटी से प्राप्त नहीं की गई है, ऐसी दशा में पट्टा जेर निगरानी विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

30/9/24

अपर कलक्टर, नागौर

2(5)- निःशुल्क आवंटन का अधिकार मात्र राज्य सरकार में निहित करता है, वो कुछ श्रेणी के लोगो को निःशुल्क आवंटन का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत के पास निःशुल्क आवंटन का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत के पास निःशुल्क आवंटन या पट्टा के जरिये अंतरण का अधिकार पंचायत एक्ट या पंचायत नियमों में नहीं हैं, ऐसी दशा में पट्टा जेर निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण रूप से विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

2(6)-ग्राम पंचायत निःशुल्क आवंटन या पट्टा के जरिये आबादी भूमि अंतरण का अधिकार नहीं रखती है। कमजोर वर्गों को 150 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल की भूमि ग्राम पंचायत रियासती दरों पर आवंटन नहीं कर सकती। पट्टा जेर निगरानी 528 वर्ग गज का है, जो बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त होने योग्य है।

2(7)- आबादी भूमि का विक्रय या आवंटन के लिए ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव लेने के बाद ही भूमि का आवंटन या पट्टा नियमों के अनुसार नीलामी या रियायती दर से दिया जाना वांछित होता है। पट्टा जेर निगरानी के बाबत पंचायत की बैठक में कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा नहीं लिया गया, न ही मौका देखने की रिपोर्ट है। न ही मौका रिपोर्ट के बाद पंचायत द्वारा वादग्रस्त पट्टे वाली भूमि विक्रय या आवंटन करने बाबत कोई प्रस्ताव या स्वीकृति भी नहीं हैं, ऐसी दशा में पट्टा जेर निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की तारीफ में नहीं हैं, कागजी व फर्जी मात्र सरपंच ने हस्ताक्षर कर जारी किया हैं, जो पूर्ण रूप से विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

2(8)- पट्टा जेर निगरानी के जरिये जो भूमि पट्टाधारी को दी गई हैं, वह नोखा से पांचौड़ी जाने वाली सडक जो वादग्रस्त पट्टा के पूर्वी तरफ हैं, के मध्य बिन्दु से 50 फुट के भीतर हैं, जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 का नियम 161 (घ) का उल्लंघन करते हुए दिया गया है। जिला सडक या ग्राम सडक के मध्य बिन्दु से 50 फुट की दूरी के भीतर की भूमि का पट्टा जारी करने का स्पष्ट रूप से मनाही हैं, ऐसी दशा में पट्टा जेर निगरानी विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2003 (1) पेज 174 से 185, आरआरटी 2012 (2) पेज 1265 से 1267, आरआरटी 2020 (1) पेज 553 से 566, आरआरटी 2019 (1) पेज 37 से 40 नजीरे पेश की।

3- अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूरी पालना की है। उक्त पट्टा प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत बनाया गया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपना कर पंचो की समिति गठित कर मौका निरीक्षण करवा कर विधिवत आपति नोटिस सूचना चस्पा करके व किसी प्रकार की आपति नहीं आने पर नियमानुसार पट्टा जारी किया था। निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4- पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत तातवास के पट्टा संख्या 21, दिनांक 01.12.2004 बुक नम्बर 16, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत तातवास से मूल रेकॉर्ड तलब किया गया जिन्होंने अपने पत्र क्रमांक: ग्रा.प.ता./2019-20/113 दिनांक 13.08.2019 के द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित किसी प्रकार का रेकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताया। रेकॉर्ड के अभाव में नहीं माना जा सकता कि ग्राम पंचायत ने मिसल खोलकर पट्टाधारी से आवेदन प्राप्त कर विधिनुसार आपतियां आमंत्रित कर मौका हेतु पंच कमेटी नियुक्त कर विधिक प्रक्रिया के तहत पट्टा जारी किया हो। क्योंकि मूल पट्टा व पट्टे से संबंधित मिसल ही ग्राम पंचायत के रेकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण कोरम के साथ कोई प्रस्ताव लिया गया हो ऐसा भी रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियमों की पूर्णतः पालना की हो। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत तातवास द्वारा जारी पट्टा संख्या 21, दिनांक 01.12.2004, निरस्त किया जाता है।

6- निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/9/24  
(धम्मालाल जीनमर)  
अपर जिला कलक्टर,  
नागौर  
अपर कलक्टर, नागौर